

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/457/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 2/07/2013

सेवा में

श्री राजपाल राणा
विधि विभाग, राजीव दीक्षित भवन
केन्द्रीय कार्यालय भारत स्वाभिमान न्यास
पंतजलि योगपीठ-2 हरिद्वार

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 28.05.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 19.06.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि संसद ने दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 मार्च, 2013 माह में पारित कर दिया है जो कि इन्टरनेट पर उपलब्ध है।
3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

g/c K.P. Singh
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-11)
दूरभाष: 23092856

Issued,
-1807
18/7.